भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

विकास आयुक्त कार्यालय

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा दादरी रोड, फेस–II, नोएडा – 201305, जिला – गौतमबुद्ध नगर

फा.सं. 12/01/2019–प्रोज/ दिनांकः 07/05/2019

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर–6, नोएडा।

2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

3. आयुक्त, आयकर, ए2डी, आयकर भवन, सेक्टर 24, नोएडा।

4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तित्रपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306.

5. उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110001

6. उप सचिव (आई एफ–1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग,वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।

विषयः दिनांक 01/05/2019 को पूर्वाहन 11:30 बजे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त – एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और डॉ. एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 01/05/2019 को पूर्वाहन 11:30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नकः उपरोक्त

भवदीय,

(नितिन गुप्ता)

उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

<u>दिनांक 01/05/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त</u>

प्रतिलिपिः

1. विशेष कार्याधिकारी – विकास आयुक्त के सूचनार्थ।

2. वैयक्तिक सहायक – संयुक्त विकास आयुक्त के सूचनार्थ।

3. निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

4. सचिव, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

5. सहायक विकास आयुक्त (एडमिन) – सूचनार्थ एवं कार्यवृत के हिंदी अनुवाद के लिए।

<u>एसईजेड के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11:30 बजे नोएडा एसईजेड के विकास आयुक्त (डीसी) डॉ. एल.बी. सिंघल की अध्यक्षता में हुई नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः –

1) श्री एस.एस. शुक्ला, ज्वाइंट विकास आयुक्त, एनएसईज़ेड।

2) श्री राजेश शर्मा, सहायक कमिश्नर, सीमा शुल्क, नोएडा कम्यूनिकेशन।

3) श्री रूचिर, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

4) श्री मुकेश गोयल, प्रबंधक, (नोएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधि)।

2. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (1) मो. सलिक परवेज, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईज़ेड, (2) नितिन गुप्ता, उप–विकास आयुक्त, एनएसईज़ेड, (3) मोहन वीर रुहेला, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईज़ेड, (4) राजेंद्र मोहन कश्यप, जेडीसी के पीए, नएसईज़ेड और (5) जाविर अली, स्टेनो, एनएसईज़ेड, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे।

3. शुरुआत में, डीसी, एनएसईज़ेड ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, एजेंडे में शामिल प्रत्येक विषय पर एक–एक करके विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार–विमर्श के साथ–साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

(1) 03/04/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 01/05/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

03/04/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय में से किसी के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। तदनुसार, 03/04/2019 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णयः

1. हेटवी ट्रेडिंग एलएलपी – नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाई के आवेदन की वापसी के लिए प्रस्ताव।

1.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स हेवती ट्रेडिंग एलएलपी ने दिनांक 10.12.2018 के और इसके बाद के दिनांक 15.01.2019 के अपने पत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन के लिए एनएसईज़ेड में इकाई स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः –

क) सोने और चांदी जड़ी ज्वैलरी का निर्माण (ITC HS–71131930)

ख) पॉलिश किए हीरे के निर्यात का निर्माण (ITC HS–71023910)।

1.2 आगे यह बताया गया कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन समिति ने 07/01/2019 को और इसके बाद 13/03/2019 को हुई बैठक में विचार किया था। 13/03/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान, श्री संजय तोलानी ने अनुमोदन समिति से अनुरोध किया था कि उन्हें उनकी एप्लिकेशन पर पुनर्विचार के लिए कुछ समय दिया जाए और प्रस्ताव को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

1.3 तदनुसार, अनुमोदन समिति श्री तोलानी के अनुरोध से सहमत हुई और प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ स्थगित कर दिया कि आवेदक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर उचित रूप से जांच की जागी और इसके बाद अनुमोदन समिति के समक्ष पूर्ण तथ्यों को रखा जाए। आवेदक को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अनुमोदन समिति के निर्णय से सूचित कर लिया गया था।

1.4 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि अब दिनांक 15/04/2019 का एक पत्र मेसर्स हेतवी ट्रेडिंग एलएलपी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुखबीर सिंह से प्राप्त हुआ है। श्री सुखबीर सिंह ने सूचित किया है कि उन्हें हेटवी ट्रेडिंग एलएलपी द्वारा इस कार्यालय से फाइल नंबर, 07/02/2018–प्रोजेक्ट के संदर्भ में वर्तमान आवेदन वापस लेने का अनुरोध करने को कहा गया है। श्री सुखबीर सिंह ने अनुरोध किया कि मेसर्स हेटवी ट्रेडिंग एलएलपी का सोने और जड़े हुए आभूषणों के लिए एलओए जारी करने के आवेदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

1.5 फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुखबीर सिंह, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनके पास आवेदन वापस लेने के लिए सभी भागीदारों की सहमति है और तदनुसार उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आवेदन जमा किया है।

1.6 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, एनएसईज़ेड में इकाई स्थापित करने के मेसर्स हेटवी ट्रेडिंग एलएलपी के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।

2. कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. – नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नई इकाई लगाने हेतु प्रस्ताव।

2.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ने 5 वर्ष की अवधि के दौरान 28100.00 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात के साथ और एनएफई के आय 28010.95 लाख रुपये के साथ ''मीठी सुपारी (08028090), माउथ फ्रेशनर (21069020), पान मसाला (21069020), पान चटनी (210909030), तंबाकू (शीशा) (24031110), तम्बाकू (चबाने वाला) (24039910), स्वाद और अर्क (24039960), तम्बाकू अर्क (24039960), गुटखा (24039990) के निर्माण और आयात'' के लिए एनएसईज़ेड में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2.2 निदेशक श्री पंकज भसीन, वरिष्ठ प्रबंधक श्री योगेश सूद और श्री अनुराग परियोजना को समझाने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री सूद ने बताया कि, निदेशकों में से एक श्री अशोक कुमार को कपड़ा और वस्त्र उद्योग में 20 वर्षों का अनुभव है। वह मेसर्स एमएलजी एक्सपोर्ट्स (वस्त्र और कपड़ा उत्पाद में कार्यरत और चालू वर्ष में 600 करोड़ रुपये का कारोबार किया है) और मेसर्स जेजे डाइंग (प्रा) लि. (तंबाकू बोर्ड के साथ पंजीकृत वर्तमान वर्ष में 50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है) के भी निदेशक हैं।

2.3 श्री भसीन ने बताया कि उनके पास विभिन्न कंपनियों के साथ व्यवसाय विकास, योजना, समन्वय और मार्केटिंग में लगभग 18 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने आगे बताया कि वे और श्री अशोक कुमार दोनों ही 16.02.2019 को मेसर्स कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि श्री अशोक कुमार मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि. से तंबाकू के व्यापार के व्यवसाय में हैं, जो केएएसईज़ेड को आपूर्ति कर रहा है और 2018–19 के दौरान 50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

2.4 यह बताया गया कि मेसर्स एमएलजी एक्सपोर्ट्स (प्रा) लि. और मेसर्स जेजे डाइंग (प्रा) लि. के साथ मेसर्स कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का सत्यापन/साइट निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट का विवरण निम्नानुसार हैः

''जैसा कि निर्देशित किया गया था, हम हस्ताक्षरकर्ता यानि कि श्री एम.वी. रुहेला, सहायक विकास आयुक्त और श्री विनय कुमार भारद्वाज, निवारक अधिकारी (सीमा शुल्क) ने 25/04/2019 और 30/04/2019 को मेसर्स कनक शेल्फी प्रा. लि. द्वारा घोषित निम्नलिखित परिसरों का दौरा किया।

<u>दिनांक 01/05/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त</u>

1. ऑफिस नंबर, 69. एनएच –4 मार्केट, फरीदाबाद, हरियाणा (पंजीकृत कार्यालय): – इस परिसर का दौरा करने के बाद, हमने पाया कि इस पते पर पहले "फरीदाबाद केमिस्ट" नाम की केमिस्ट शॉप थी। एमप्लोयी श्री सौरभ सिंह वहां मौजूद थे और उन्होंने बताया कि केमिस्ट शॉप के मालिक श्री जितेंद्र मदान हैं।

2. मेसर्स एमएलजी एक्सपोर्ट प्रा. लि., एफ–47ए, प्रथम मंजिल, एल्डेको स्टेशन–1 मॉल, सेक्टर –12, फरीदाबाद, हरियाणा –127007: यहां यह उल्लेख करना होगा कि एफ–47ए, जैसा कि आवेदक द्वारा घोषित किया गया एल्डेको स्टेशन–1 मॉल, सेक्टर –12, फरीदाबाद में मौजूद नहीं है। इसके अलावा, परिसर एफ–47 मेसर्स जीएनटी टेक्सटाइल के नाम पर पाया गया।

3. मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि., 54, ब्लॉक–बी, सेक्टर –11, फरीदाबाद: यह पाया गया कि उक्त परिसर श्री एस.सुरजीत सिंह गिल और जोगा सिंह गिल का आवासीय पता है।"

2.5 श्री सूद ने बताया कि श्री अशोक कुमार ने 30.04.2019 की रात को इस कार्यालय के अधिकारियों के दौरे के बाद बताया कि मेसर्स एमएलजी एक्सपोर्ट का पता एल्डेको स्टेशन–1 मॉल से किसी अन्य स्थान पर बदल दिया गया है। हालांकि, वह नए पते का स्थान नहीं बता सके। अनुमोदन समिति ने पाया कि सबसे पहले तो एफ –47 ए, पहली मंजिल, एल्डेको स्टेशन–1 मॉल, सेक्टर –12, फरीदाबाद का कोई पता नहीं था। इसलिए एफ –47 ए, पहली मंजिल, एल्डेको स्टेशन–1 मॉल, सेक्टर –12, फरीदाबाद से किसी अन्य स्थान पर स्थान परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं होता।

2.6 श्री भसीन ने बताया कि हाल ही में उन्होंने नोएडा के सेक्टर –50 में एक कार्यालय परिसर खरीदा है और अब वे वहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि जैसा कि उन्हें पता है मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि. फरीदाबाद के एक गोदाम से कारोबार कर रहा है। हालांकि, उनके पास पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि वह मेसर्स एमएलजी एक्पोर्ट और मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि. से संबंधित नहीं हैं।

2.7 यह बताया गया कि आवेदक ने मेसर्स एमएलजी एक्पोर्ट और मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि. का कारोबार क्रमशः 60 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये उल्लेख किया है। हालांकि, दोनों कंपनियों के लिए दी गई बैलेंस शीट के अनुसार, यह पाया गया है कि मेसर्स एमएलजी एक्पोर्ट ने 2017–18 के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है और मेसर्स जेजे डाइंग प्रा. लि. की वर्ष 2017–18 में कुल आय 28,44,0521/– रुपये रही। इसके अलावा, दोनों कंपनियों के लिए रु. 60 करोड़ और रु. 50 करोड़ के कारोबार के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिये गए हैं। **<u>इसके बाद, आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के अनुसार, मेसर्स कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का 22,53,10,089 रुपये के कारोबार में कुल लाभ मात्र 9954 रुपये है।</u>**

2.8 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने मीठी सुपारी (08028090), माउथ फ्रेशनर (21069020), पान मसाला (21069020), पान चटनी (210909030), तंबाकू (शीशा) (24031110),

तम्बाकू (चबाने वाला) (24039910), स्वाद और अर्क (24039960), तम्बाकू अर्क (24039960), गुटखा (24039990) के निर्माण का प्रस्ताव किया है। यह सूचित किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 04/10/2012 की अधिसूचना संख्या 6288/FSDA/FOOD/2O12 में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन (बिक्री पर मनाही और प्रतिबंध) 2011 के तहत विनियमन 2.3.4 में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार, तम्बाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री या बाजार में जिस भी नाम से उपलब्ध है, वह निषेध है।

2.9 अनुमोदन समिति ने पूरी तरह से विचार–विमर्श करने के बाद, एसईज़ेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) और एसईजेड नियम के नियम 18, 2006 के तहत गलत घोषणा–पत्र, गलत बयान, गलत–प्रतिनिधित्व और तथ्यों का दमन कर अनुमोदन समिति को गुमराह करने का प्रयास किया क्योंकि उनके अस्तित्व, अनुभव, वित्तीय सामर्थ्य और कारोबार के बारे में जमीनी हकीकत के साथ मेल नहीं खाते हैं, विशेष रूप से एनएसईज़ेड टीम की सत्यापन रिपोर्ट से स्पष्ट है जैसा कि पैरा 2.4 और पैरा 2.5 में दिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि इस इकाई की स्वीकृति लेने के लिए इस कार्यालय को जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान की गई है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेसर्स कनक शेल्फी इंडस्ट्रीज प्रा. के एनएसईजेड में इकाई लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

3. इम्पैक्ट क्यूए सर्विसेज प्रा. लि. – नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी इकाई लगाने हेतु प्रस्ताव।

3.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स इम्पैक्ट क्यूए सर्विसेज प्रा. लि. ने पांच साल की अवधि में 2722.71 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात और 2692.78 लाख रुपये के एनएफई आय के साथ सर्सि गतिविधियां ''सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज'' शुरू करने के लिए एनएसईज़ेड में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

3.2 कंपनी के निदेशक श्री ज्योति प्रसाद भट्ट, परियोजना के बारे में समझाने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री भट्ट ने बताया कि इम्पैक्ट क्यूएए एक पूर्ण सर्विस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फर्म है। अपने कई ग्राहकों/एजेंसियों को सेवा प्रदान करने और बाजार में समय बढ़ाने के लिए, उन्होंने एनएसईज़ेड में एक नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी पहले से ही ''डी–49, दूसरी मंजिल, सेक्टर–63, नोएडा'' में डीटीए इकाई चला रही है।

3.3 श्री भट्ट ने आगे बताया कि उनके ग्राहकों में श्नाइडर इलेक्ट्रिक, डेलोइट, केएफसी, पैनासोनिक, रियल प्लेयर, क्वार्ट्ज आदि कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित सेवाओं के निर्यात का मुख्य स्थान 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' (यूएसए) होगा।

3.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने 700 वर्ग मीटर के क्षेत्र की आवश्यकता दर्शाई है। अनुमोदन समिति ने आवेदक को सूचित किया कि एनएसईज़ेड में लगभग 500 वर्ग मीटर के एसडीएफ उपलब्ध हैं और उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या दो एसडीएफ आवंटित

किए जा सकते हैं। श्री भट्ट ने कहा कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार एसडीएफ के लिए आवेदन करेंगे।

3.5 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, मेसर्स इम्पैक्ट क्यूए सर्विसेज प्रा. लि. के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें वे एनएसईज़ेड में सर्विस गतिविधियां यानि सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवाएं करने के लिए एक इकाई स्थापित करना चाहते हैं।

4. डॉलफिन अपेरल्स – नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी इकाई लगाने हेतु प्रस्ताव।

4.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स डॉल्फिन अपेरल्स ने (1) लेदर बैग (चमड़े के बैग) (4202 और 4203) जैसे लेपटॉप बैग, लेडीज हैंडबैग और पर्स, वौलेट और पासपोर्ट होल्डर आदि, (2) चमड़े के वस्त्र जैसे जैकेट, कोट, पैंट, स्कर्ट, शॉर्ट्र्स, ड्रेस आदि (आईटीसी एचएस कोड 6204) के निर्माण और निर्यात के लिए पांच साल की अवधि में 3542 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात और 2753 लाख रुपये के एनएफई आय के साथ एनएसईज़ेड में इकाई लगाने का प्रस्ताव किया है।

4.2 फर्म के मालिक श्री मितेश वर्मा परियोजना को समझाने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री वर्मा ने बताया कि उन्होंने 1996 में चमड़े के कोट और जैकेट के निर्माण और निर्यात के लिए फर्म शुरू की थी। उन्होंने आगे बताया कि डीटीए में अधिक किराये और अन्य दायित्वों के चलते उनके लाभ में कमी आई है और अब उन्हें मूल्य निर्धारण पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

4.3 श्री वर्मा ने आगे बताया कि उन्हें एनएसईज़ेड के बारे में बहुत देर से पता चला। इसलिए, उन्होंने अब एनएसईज़ेड में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो उन्हें कम लागत पर बेहतर सुविधा प्रदान करेगी जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों की कीमत को कम करने में मदद करेगी।

4.4 श्री वर्मा को सूचित किया गया कि 26/04/2019 के पत्र के माध्यम से उनसे कुछ दस्तावेज/सूचनाएं मांगी गई थीं जिनकी उन्हें प्रतीक्षा है, जिसके जवाब में उन्होंने इसे जल्द ही जमा करने का आश्वासन दिया।

4.5 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, मेसर्स डॉल्फिन अपेरल्स के (1) लेदर बैग (चमड़े के बैग) (4202 और 4203) जैसे लेपटॉप बैग, लेडीज हैंडबैग और पर्स, वौलेट और पासपोर्ट होल्डर आदि, (2) चमड़े के वस्त्र जैसे जैकेट, कोट, पैंट, स्कर्ट, शॉर्ट्र्स, ड्रेस आदि (आईटीसी एचएस कोड 6204) के निर्माण और निर्यात के लिए एनएसईज़ेड में इकाई लगाने के प्रस्ताव को दिनांक 26.04..2019 के इस कार्यालय पत्र के संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर मंजूरी दे दी।

5. कपूर टेक्नोलॉजी – इकाई के साझेदारी की पुनर्गठन एवं शेयरहोल्डिंग में बदलाव हेतु प्रस्ताव।

दिनांक 01/05/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

5.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स कपूर टेक्नोलॉजी को ई–पासपोर्ट इनले, ई–कार्ड, ई–कीफॉब, ई–सर्टिफिकेट, ई–लेनेल, ई–रिस्टबैंड, ई–प्रीलेम और ई–टैग, ई–पास, इलेक्ट्रॉनिक किराया और टोल संग्रह टोकन और कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक उप–प्रक्रिया, रीडर और सॉफ्टवेयर और मोल्डेड घटक के निर्माण को लेकर 19.07.2017 को एक एलओए जारी किया गया था। इकाई ने अभी तक अपना अधिकृत संचालन शुरू नहीं किया है। इकाई का एलओए 18. 07.2019 तक मान्य है।

5.2 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि इकाई ने यह सूचित किया है कि फर्म की अवधि ''इच्छाशक्ति से भागीदारी'' पर थी और श्री आलोक कुमार कपूर, श्री सुमंत कुमार कपूर और श्री अनंत कुमार कपूर, अपनी इच्छा के अनुसार और विभिन्न कारणों और अन्य परिश्रमियों के चलते साझेदारी में आगे नहीं बढ़ने और 20 फरवरी 2019 से कपूर टेक्नोलॉरी से सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताई।

5.3 फर्म में भागीदार, श्री पुनीत कपूर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कपूर ने बताया कि तीनों हट रहे साथी यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे और इस वजह से उन्हें भारत के साथ–साथ ब्रिटेन में भी कई औपचारिकताओं का पालन करना पड़ रहा था। इसलिए, उन्होंने मेसर्स कपूर टेक्नोलॉजी से रिटायर होने का फैसला किया। उन्होंने आगे बताया कि साझेदारों में बदलाव के कारण, फर्म के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा हैः

शेयरधारक का नाम	परिवर्तन से पहले शेयरहोल्डिंग प्रतिशत	परिवर्तन के बाद शेयरहोल्डिंग प्रतिशत
1. श्री पुनीत कुमार कपूर	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2. श्री प्रेम कुमार कपूर	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत
3. श्रीमती किरण कपूर	19 प्रतिशत	25 प्रतिशत
4. श्री सुमंत कुमार कपूर	5 प्रतिशत	--
5. श्री अनंत कुमार कपूर	5 प्रतिशत	--
6. श्री आलोक कुमार कपूर	1 प्रतिशत	--

5.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि साझेदारों में परिवर्तन के कारण हिस्सेदारी में 11 प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है।

5.5 श्री कपूर ने आगे बताया कि उन्होंने अब एक एसडीएफ का पोज़ेशन लिया है और जुलाई–अगस्त 2019 तक अपना उत्पादन शुरू कर देंगे।

5.6 यह सूचित किया गया कि दिनांक 17/05/2018 को डीओसी निर्देश सं. 89 के जरिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न, एसईजेड डेवलपर का नाम बदलने और एसईजेड इकाइयों के बारे में दिशा–निर्देश जारी किए थे जो निम्नानुसार हैं:

''5(ii) नाम में परिवर्तन, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव, व्यापार हस्तांतरण व्यवस्था, अदालत द्वारा अनुमोदित विलय और डिमर्जर, एसईजेड में स्थित इकाइयों की रचना में परिवर्तन सहित पुनर्गठन को इकाइयों के संबंध में अनुमोदन समिति की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी या यहां से कहीं नहीं जाएगी और जैसे काम कर रही है करती रहेगी। इकाई की सभी देनदारियां ऐसे पुनर्गठन पर भी अपरिवर्तित रहेंगी।

6. ऐसा पुनर्गठन निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के अधीन होगाः

1) परिवर्तित इकाई के लिए निर्बाध जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों को बिना किसी रूकावट के जारी रखना;

2) परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा लागू सभी पात्रता मानदंड जिसमें सुरक्षा पात्रता आदि शामिल होंगे, उन्हें पूरा करना;

3) सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियम जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कराधान आदि मुद्दों को विनियमित करते हैं, उन्हें लागू करें और उनका पालन करें।

4) इक्विटी/मर्जर, डिमर्जर, एकीकरण या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तुरंत सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

5) मूल्यांकन अधिकारी को अधिकार होगा कि वह इक्विटी या मर्जर, डिमर्जर, एकीकरण, स्थानांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि के कर निर्धारण का आंकलन कर सकता है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के संबंधित अनुभागों के तहत कटौती लागू और पात्र हो सकती है।

6) आवेदक को संबंधित राज्य सरकार के कानूनों का अनुपालन करना होगा, जिसमें जमीन की लीज़ से संबंधित कानून भी लागू होंगे।

7) इकाई को सीबीडीटी को इकाई के पैन और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करेगी।''

5.7 आगे बताया गया कि दिनांक 03/08/2018 के डीओसी निर्देश सं. 90 के जरिए यह भी स्पष्ट किया गया कि, ''यह नहीं समझा जाए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले बीओए/यूएसी से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, जैसा कि कुछ मामलों में इस विभाग में पाया गया है।

5.8 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, मेसर्स कपूर टेक्नोलॉजी को दिनांक 17/05/2018 क निर्देश सं. 89 और दिनांक 03/08/2018 के निर्देश सं. 90 के संदर्भ में भागीदारों और शेयरधारिता में परिवर्तन करने की मंजूरी दे दी।

6. वर्चुअल एमप्लोयी प्राअवेट लिमिटेड – इकाई के सॉफ्टेक्स फॉर्म भरने से संबंधित समस्या के संदर्भ में RBI से प्राप्त स्पष्टीकरण पर चर्चा हेतु प्रस्ताव।

6.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स वर्चुअल एमप्लोयी प्रा. लि. को आईटी सक्षम सेवाओं (बीपीओ सर्विसेज) के लिए दिनांक 06/09/2011 को एलओए जारी किया गया था। इकाई ने अपनी निर्यात गतिविधियों की शुरुआत 30/04/2013 से की और एलओए 29/04/2023 तक वैध है।

6.2 यह सूचित किया गया कि इकाई सॉफ्टेक्स फॉर्म जमा नहीं कर रही है। तदनुसार, इकाई को सॉफ्टेक्स पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और इकाई ने निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैंः–

(1) एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में सॉफ्टेक्स फॉर्म जमा न करने के संबंध में, इकाई ने बताया कि वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑडियो या वीडियो या टेलीविजन सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, इकाई ने कहा कि वे "भारत से सेवार्थ" की अवधारणा के तहत अपने परिसर से अच्छी सरंचना के साथ श्रमिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और मानव संसाधन के सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में कौशल और गुणवत्ता प्रदान श्रमिक प्रदान कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं।

6.3 यह भी बताया गया कि अनुमोदन समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में सॉफ्टेक्स फॉर्म ना भरने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। 07/01/2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर सॉफ्टेक्स दाखिल करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई को इस मामले की और इकाई द्वारा जमा सभी दस्तावेजों के साथ विस्तृत पत्र भेजने का निर्देश दिया था। तदनुसार, दिनांक 07/01/2019 के अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार, दिनांक 21/10/2019 का पत्र इकाई द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर सॉफ्टेक्स दाखिल करने की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई को भेजा गया था।

6.4 आरबीआई से स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण, अनुमोदन समिति ने 03/04/2019 को आयोजित बैठक में मेसर्स वर्चुअल एमप्लोयी प्रा. लि. की एलओए की वैधता को पांच साल की वर्तमान ब्लॉक की शेष अवधि के लिए लि. यानी 29/04/2019 तक के लिए रिन्यू किया, इस शर्त के साथ कि इकाई सोफटेक्स फार्म दाखिल करेगी और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड)(iii) का अनुपालन करेगी। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के निर्यात के संबंध में पिछले कुछ समय के लिए सॉफ्टेक्स फॉर्म्स के भरे जाने से संबंधित समस्या को आरबीआई से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरूप लिया जाएगा।

6.5 आगे यह बताया गया कि कि अब, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 05.04.2019 के अपने पत्र के जरिए कहा है कि इकाई द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और 19 जनवरी 2016 के अधिसूचना सं. FEMA 23R/201S को देखते हुए उन्होंने सलाह दी है कि इकाई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सॉफ्टवेयर निर्यात के रूप में नहीं माना जा सकता है।

6.6 कंपनी के निदेशक श्री नरेंद्र सिंह माहिल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने उन्हें सूचित किया कि आरबीआई से प्राप्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर उन्हें सॉफटेक्स फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन समिति ने श्री माहिल से पूछा कि अब चूंकि उन्हें सॉफटेक्स फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे सेवाओं के निर्यात की घोषणा के लिए विभागों में कौन से दस्तावेज दाखिल करेंगे।

6.7 श्री माहिल ने कहा कि वे अपने द्वारा किए गए निर्यात के समर्थन में चालान दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें बताया जा सकता है कि सॉफ्टवेयर सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के निर्यात की घोषणा के लिए उन्हें कौन से दस्तावेज दाखिल करने चाहिए।

6.8 अनुमोदन समिति ने श्री माहिल को सूचित किया कि दिनांक 05.04.2019 को आरबीआई से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार इकाई को सॉफट फॉर्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन समिति ने पाया कि अब तक माल के निर्यात के मामले में शिपिंग बिल दायर किया जाना है और सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में, सॉफ्टेक्स फॉर्म दाखिल किया जाना है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर निर्यात के अलावा अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो एसईजेड नियमों में कोई उल्लेख नहीं है कि एसईज़ेड कस्टम के साथ कौन से कागजात दाखिल किये जा सकते हैं। अनुमोदन समिति ने इसलिए निर्देशित किया कि डीओसी को यह अनुरोध भेजा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं के निर्यात के मामले में किन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है इसका मार्गदर्शन करें।

7. मार्केट मूवर्स एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ट्रेडिंग यूनिट) — एसईज़ेड से निकासी से पहले इकाई के प्रदर्शन की निगरानी हेतु प्रस्ताव।

7.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स मार्केट मूवर्स एक्सपोर्ट्स (इंडियां) प्रा. लि. (ट्रेडिंग इकाई) को सभी प्रकार के स्टेशनरी उत्पादों के व्यापार के लिए दिनांक 22/02/2008 को एलओए जारी किया गया था। इकाई ने अपनी निर्यात गतिविधियां 19/02/2009 से शुरू करी और एलओए 08/02/2019 तक वैध था।

7.2 यह सूचित किया गया कि इकाई ने पांच साल के वर्तमान अवधि के दौरान, जो कि 2013—14 से 2017—18 तक रहा, उसमें 217.47 लाख रुपये का निर्यात किया और 42.13 लाख रुपये की सकारात्मक एनएफई आय अर्जित की।

7.3 आगे बताया गया कि इकाई ने दिनांक 12.12.2018 के अपने पत्र और उसके बाद के दिनांक 14.01.2019, 08.03.2019 और 13.03.2019 के पत्रों के जरिए एसईजेड योजना से बाहर निकलने से संबंधित सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.10.2017 और उसके बाद के पत्रों में पूछा गया था। एनएसईज़ेड कस्टम्स ने 09.04. 2018 को इकाई को अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी कर दी है।

7.4 यह भी बताया गया कि हालांकि इकाई ने एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में एसईजेड योजना से फाइनल निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। दिनांक 09.04.2019 के इस कार्यालय पत्र के जरिए इकाई को फाइनल निकास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जिसका अभी भी इंतजार है।

7.5 यह सूचित किया गया कि एसईज़ेड नियम, 2006 के नियम 74 के अनुसार, 'यदि इकाई ने सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की है, तो बाहर निकलने पर विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।'' यह भी बताया गया कि एसईज़ेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, यह अनुमोदन समिति के हाथ में है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इकाई ने सकारात्मक एनएफई हासिल किया है या नहीं।

7.6 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विवेक चंद्रा, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री चंद्रा ने बताया कि उन्होंने अब एसईजेड ऑनलाइन स्स्टिम पर फाइनल निकास के लिए ऑनलाइन आवेदन भर लिया है।

7.7 अनुमोदन समिति ने एनएपीआरआर के आधार पर एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के तहत इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पाया कि इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई प्राप्त की गई है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि कोई भी विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित नहीं है। अनुमोदन समिति ने आगे फाइल पर फाइनल निकास जारी करने से संबंधित बाकी औपचारिकताओं की जांच करने का निर्देश दिया।

8. ओरिवेंटर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड – नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी इकाई लगाने हेतु प्रस्ताव।

8.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स ओरिवेंटर इंजीनियरिंग प्रा. लि. ने एनएसईज़ेड में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें वे पांच साल की अवधि में 22868 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात और 21468.28 लाख की एनएफई आय के साथ ''(1) आईटी के लिए अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित कैनबिस (हेम्प) से सीबीडी/टीएचसी के निकास के लिए भारत के बाहर टर्नकी परियोजना स्थापित करने के लिए तकनीकी/इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे और (2) कैनबिस (हेम्प) से सीबीडी/टीएचसी के विनिर्माण और निकास'' का कार्य करेंगे।

8.2 कंपनी के निदेशक श्री राहुल चिताले परियोजना के बारे में विस्तार से बताने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री चिताले ने बताया कि वे भारत के हेम्प एसोसिएशन से जुड़े हैं और विभिन्न मेडिकल उपयोगों के लिए सीबीडी/टीएचसी की निकासी के लिए औद्योगिक हेम्प की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कैनबिस पौधे से सीबीडी/टीएचसी अर्क का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे कि फार्मास्युटिकल उद्योग, स्वास्थ्य पूरक उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग और हर्बल उद्योग द्वारा अपने फाइन उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

8.3 श्री चिताले ने यह भी बताया कि प्रस्तावित एनएसईजेड इकाई में वे निम्नलिखित गतिविधियां चालू करेंगेः

1) तकनीकी/इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं

कैनबिस पौधे से सीबीडी (कैनाबिडिओल)/टीएचसी (टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल) के निर्यात के लिए क्लाइंट कंपनी टर्नकी परियोजना (भारत और विदेश में) की स्थापना के लिए।

2) कैनबिस (हेम्प) से सीबीडी/टीएचसी का विनिर्माण और निर्यात

वे अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करेंगे और कैनबिस पौधे से सीबीडी/टीएचसी का उत्पादन करेंगे जो विदेशों में विभिन्न फार्मा, कॉस्मेटिक उद्योग को निर्यात किया जाएगा।

8.4 श्री चिताले ने आगे बताया कि उन्हें पहले ही इसी परियोजना के लिए मेयर बायोटेक एसईजेड, गुड़गांव से एलओए जारी किया गया है। हालांकि, डेवलपर एसईजेड की अधिसूचना रद्द करने की योजना बना रहा है और इसलिए, उन्हें वहां कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया है।

8.5 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि आयात नीति के अध्याय 12 के अनुसार, कैनबिस (भांग की प्रजाति) के आयात की अनुमति नहीं है।

8.6 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, मेसर्स ओरिवेंटर के एनएसईज़ेड में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें वे "(1) आईटी के लिए अनुसंधान और विकास सेवाओं सहित कैनबिस (हेम्प) से सीबीडी/टीएचसी के निकास के लिए भारत के बाहर टर्नकी परियोजना स्थापित करने के लिए तकनीकी/इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे और (2) कैनबिस (हेम्प) से सीबीडी/टीएचसी के विनिर्माण और निकास निम्न स्थितियों के अधीन होगाः

(1) कैनबिस (भांग की प्रजाति) के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) प्रस्तावित इकाई को किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) जहां भी आवश्यक हो इकाई को ड्रग कंट्रोलर या एफएसएसएआई से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' प्राप्त करनी होगा,

(4) इकाई को आवश्यक लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करनी होगी जो किसी अन्य कानून (नों) के तहत अन्य अधिकारियों से आवश्यक हो सकती है।

(5) विनिर्माण गतिविधि और सेवा गतिविधि के लिए एनएफई स्थिति अलग–अलग होगी।

9. लक्ष्मण ओवरसीज – एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने का प्रस्ताव।

9.1 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स लक्ष्मण ओवरसीज को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय उपकरण, कैलकुलेटर, कम्युनिकेटर, पाम टॉप एंड कम्प्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक टाइम पीस/इलेक्ट्रॉनिक घड़ी/इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और मॉड्यूल (इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के भागों) जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 25/10/2002 को एलओए जारी किया गया था। इकाई ने अपने निर्यात उत्पादन की शुरुआत 01/03/2003 से की थी और उसका एलओए 28/02/2023 तक वैध है।

9.2 आगे यह सूचित किया गया कि इकाई ने मोबाइल फोन को ठीक करने के काम को फिर से चालू करने के लिए अपने एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

9.3 फर्म के मालिक श्री विपुल अग्रवाल, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री अग्रवाल ने बताया कि उनके पास जोन में बड़ी जगह है और वर्तमान गतिविधि कारखाने के एक छोटे हिस्से तक सीमित है। वे एक व्यवहार्य उत्पाद की तलाश में थे, जिसे यहां प्रोसेस किया जा सकता है और उन्हें अब मोबाइल फोन को पुनः काम चालू करने की तकनीकी जानकारी और इन्हें खरीदने की आश्वास्त आपूर्ति मिल गई है। प्रति वर्ष 120000 फोन (5 साल में पूर्ण रूप से) के निर्माण और निर्यात की क्षमता के साथ सेटअप करने का प्रस्ताव है।

9.4 श्री अग्रवाल ने आगे बताया कि उनका मेसर्स अटेरो रिसाइकलिंग के साथ एक समझौता हुआ है जो इन फोन को ठीक करने के लिए उन्हें पूरी तकनीकी जानकारी मुहैया कराएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यूएसए की एक कंपनी के साथ करार किया है जो उन्हें ठीक करने के लिए फोन की आपूर्ति करेगी।

9.5 श्री अग्रवाल ने बताया कि वे अमेरिका से खराब मोबाइल आयात करेंगे और ठीक रकने के बाद इन्हें हांगकांग, सिंगापुर, शारजाह आदि जगहों में निर्यात करेंगे। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि वे उक्त परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी के लिए लगभग 1.33 करोड़ रुपये निवेश करेंगे। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि संयंत्र और मशीनरी की स्थापना में लगभग 1–2 महीने लगेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें डीटीए में 5000 मोबाइलों का पहला परीक्षण खेप

भेजने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके तहत वे सभी आवश्यक प्रतिभूतियां और उत्पाद वापसी का आश्वासन देंगे।

9.6 यह सूचित किया गया था कि यह प्रस्ताव एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18 (4) के तहत आता है, जो निम्नानुसार हैः

''18(4) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा–

(क) रिसाइकिल के लिए अन्य प्रयुक्त वस्तुओं का आयात;

यदि मौजूदा इकाई के लिए स्वीकृति पत्र के विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा;

यदि आगे कि रिकंडिशनिंग, रिपेयर और रीइंजीनियरिंग की इस शर्त पर अनुमति दी जा सकती है कि निर्यात का आयात के साथ एक–एक संबंध होगा और सभी मरम्मत या पुनरुत्पादित उत्पादों और अवशेष का निर्यात किया जाएगा और इनमें से कोई भी सामान घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे जाने या नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए?''

9.7 आगे यह सूचित किया गया कि दिनांक 04/04/2016 की अधिसूचना जीएसआर सं. 395(ई) के अनुसार, ''साल भर में संगठनों द्वारा आयात 01 नंबर तक प्रयुक्त लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल, टेबलेट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति के बिना आयात और निर्यात किए जा सकते हैं। हालांकि, तात्कालिक प्रस्ताव से, इकाई ने प्रति वर्ष 120000 फोन (5 वर्षों में पूर्ण रूप से) उत्पादन की क्षमता का प्रस्ताव दिया है। इसलिए, इकाई को उपयोग किए गए मोबाइलों के आयात और निर्यात के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

9.8 यह भी बताया गया कि एफटीपी के पैरा 2.31 के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं के अलावा प्रयुक्त सामान के लिए आयात नीति प्रतिबंधित है और माल आयात के लिए प्राधिकरण के विरूद्ध है। दिनांक 04/03/2010 के निर्देश संख्या 47 के संदर्भ में प्रतिबंधित माल के लिए, मामले को बीओए के समक्ष रखा जाना चाहिए।

9.9 अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और श्री अग्रवाल को सूचित किया कि डीटीए में खराब सामान भेजने की अनुमति एसईज़ेड नियम, 2006 के नियम 18 (ए) (डी) के संदर्भ में एक भी पीस के लिए नहीं दी जा सकती है। इकाइ को पूरी गतिविधि को फैक्ट्री में ही पूरा काम करना होगा। श्री अग्रवाल ने यह आश्वासन दिया कि सम्पूर्ण गतिविधि फैक्ट्री के अंदर ही की जाएगी और आवेदन पत्र में किए गए उनके अनुरोध को भी वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने डीटीए में इकाई द्वारा पहले 5000 पीसेज का परीक्षण करेने की बात कही थी।

9.10 इसके बाद, अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, इकाई को दिनांक 04/04/2016 के अधिसूचना जीएसआर संख्या 395(ई) के संबंध में एमओईएफसीसी से अनुमति प्राप्त करने के

लिए निर्देश दिया और उसकी एक प्रति इस कार्यालय में जमा करने को कहा। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि एमओईएफसीसी से अनुमति मिलने पर, मामले को फिर से विचार के लिए रखा जाएगा।

10. अर्दिति इंडिया प्रा. लि. – एलओए में व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शामिल करने हेतु प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि मेसर्स अर्दिति इंडिया प्रा. लि. को बिजली के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और अन्य हिस्सों जिसमें एलईडी मॉड्यूल और फिक्सचर शामिल हैं के विनिर्माण के लिए दिनांक 28/02/12013 को एलओए जारी किया था। इकाई ने अपने निर्यात उत्पादन की शुरुआत 10/12/2013 को की थी और एलओए 09/12/2023 तक वैध है।

10.2 अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि इकाई ने दिनांक 02.12.2018 के अपने पत्र के अनुसार, एलओए के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय कहा था कि ''पिछले एलओए में विनिर्माण और ट्रेडिंग गतिविधियां दोनों की अनुमति थी, लेकिन सितंबर से एसईज़ेड नियम 2018 में संशोधन के साथ, व्यापारिक गतिविधियां अधिक प्रासंगिक नहीं हैं। इसलिए, हमने केवल विनिर्माण गतिविधि के लिए एलओए को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया"। इकाई का प्रस्ताव 06.02.2019 को हुई बैठक में अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया। अनुमोदन समिति ने इकाई के अनुरोध को मंजूरी दे दी और अगले पांच वर्षों यानि 09.12.2023 तक बिजली के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और अन्य हिस्सों जिसमें एलईडी मॉड्यूल और फिक्सचर शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए एलओए की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा एलओए से ट्रेडिंग गतिविधियों को हटाने के अनुरोध पर इसे एलओए से हटाने का फैसला किया।

10.3 कंपनी के निदेशक श्री रोहित कपूर और श्री दिनेश शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कपूर ने बताया कि उनके खरीदार मुख्य रूप से विदेश से हैं और एसईजेड, ईओयू में भी मौजूद हैं, जो अन्य देशों में फाइनल उत्पादों का निर्माण और निर्यात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वे संबंधित देश के विनिर्देश और मानक के अनुसार बिजली के लैंप के लिए कच्चे माल का निर्माण करते हैं। हालांकि, खरीदारों को अक्सर कम मात्रा में कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिनका विनिर्माण उनके लिए व्यावसायिक रूप से सही नहीं होता है। ऐसे कई छोटे तैयार उत्पाद हैं जिनके लिए खरीदार ऑर्डर देते हैं। उन वस्तुओं के लिए, उनके द्वारा कोई मूल्यवर्धन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तैयार उत्पादों पर किए गए किसी भी मूल्यवर्धन गतिविधि में न केवल निर्माता के संपत्ति के उल्लंघन होगा, बल्कि उन उन मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रस्तुत करें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्वीकार्य हैं। फिर भी, वे अत्यंत प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावित खरीदारों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए उनके

एलओए से ''ट्रेडिंग'' गतिविधि को हटाने से व्यावहारिक रूप से एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां वे निर्यात ग्राहकों को खो देंगे।

10.4 श्री कपूर ने यह भी बताया कि ट्रेडिंग इकाई की प्राथमिकता नहीं है लेकिन, यह ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण और पूरक है। यहां विभिन्न छोटे आइटम हैं जिनका निर्माण वे नहीं कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं (कभी–कभी कोई मूल्य वर्धन नहीं होता है, छोटे घटकों में संभव नहीं है, क्योंकि यह विदेशों में सुरक्षा और अनुमोदन मानदंडों का उल्लंघन करता है)। इसलिए, ट्रेडिंग की अनुमति आवश्यक है और अपने एलओए में ट्रेडिंग गतिविधि को बहाल करने का अनुरोध किया है।

10.5 अनुमोदन समिति ने विचार–विमर्श के बाद, व्यापारिक गतिविधियों की बहाली के लिए इकाई के अनुरोध को मंजूरी दे दी है, अर्थात् ''पुर्जों का व्यापार (बिजली के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पूर्जो और अन्य हिस्सों जिसमें एलईडी मॉड्यूल और फिक्सचर शामिल हैं) उनके अधिकृत संचालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगाः

(1) व्यापारिक वस्तुओं की कोई डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा के एवज में उसी या अन्य एसईजेड या ईओयू में अन्य इकाइयों और डेवलपर्स को आपूर्ति के लिए और केवल भौतिक निर्यात के लिए किसी अन्य देश में व्यापार की अनुमति दी जाएगी।

(3) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग–अलग क्षेत्र बनाएगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एनएफई के अलग–अलग रिकॉर्ड/खाते बनाएगी।

(4) विनिर्माण गतिविधि और ट्रेडिंग गतिविधि की एनएफई स्थिति अलग–अलग देखी जाएगी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ संपन्न हुई।

(एस.एस.शुक्ला **(डॉ. एल.बी.सिंघल)**

संयुक्त विकास आयुक्त **विकास आयुक्त**